सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा :.सं . NCST/SER-628/JH/9/2022-SSW दिनांक : 28.03.2025

सेवा मे,
अध्यक्ष,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल),
इस्पात भवन,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
ईमेल: chairman.sail@sail.in,
फोन:- 24367313

विषय: अनुकम्पा के आधार पर SAIL MIOM में नौकरी देने के संबंध में श्री विजय कुमार मेलगन्डी -, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, झारखंड प्रदेश का दिनांक 10.08.2022 का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट की गई कार्रवाई / की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संलग्न:यथोपरि।

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

<u>प्रति सूचनार्थ:</u>

श्री विजय कुमार मेलगन्डी,
महामंत्री भारतीय जनता पार्टी
आरलोनीकॉ.पी., वार्ड नं .03,
भलियाकुदर चक्रधरपुर,
जिलापश्चिमी सिंहभूम-, (झारखंड(
(Ph No. 9431347906)

(ii) PS to Humble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
फा. सं. NCST/SER-628/JH/9/2022-SSW

स्व. गुरुराम बिरुली (वरीय वाहन चालक, SAIL) के पुत्र को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान करने के संबंध में श्री विजय कुमार मेलगंडी की शिकायत पर आयोग की माननीय सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) के समक्ष दिनांक 28.02.2025 को हुई सिटिंग /सुनवाई का कार्यवृत।

सुनवाई की तिथि एवं समय: 28.02.2025 को 03:00 बजे अपराह्न
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी: अनुलग्नक-। के अनुसार।

1. शिकायतकर्ता श्री विजय कुमार मेलगंडी (महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी, ST मोर्चा, पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड) द्वारा आयोग में दिनांक 10.08.2022 को शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि स्व. गुरुराम बिरुली, जो SAIL (Meghahatburu Iron Ore Mines) में वरीय वाहन चालक के पद पर कार्यरत थे, का दिनांक 15.12.2015 को ड्यूटी जाने के क्रम में हार्टअटैक से निधन हो गया। कंपनी के नियमानुसार, यदि कोई कर्मचारी घर से कार्यस्थल या कार्यस्थल से घर लौटने के दौरान, ड्यूटी के दो घंटे के भीतर निधन हो जाता है, तो एक आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाती है। ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं, जिनमें SAIL ने इस प्रकार की नौकरी प्रदान की है। स्व. बिरुली के मामले में, उस समय के महाप्रबंधक द्वारा अनुकंपा नियुक्ति की अनुशंसा की गई थी, किंतु आज तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

2. आयोग ने दिनांक 01.11.2022 को SAIL के अध्यक्ष, नई दिल्ली को नोटिस जारी कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। SAIL ने अपने पत्र दिनांक 12.11.2022 में यह जवाब दिया कि 'there is no merit in the case and it cannot be considered as per company rule'.

3. शिकायतकर्ता श्री विजय मेलगंडी द्वारा दिनांक 19.05.2023 को प्रस्तुत प्रत्युत्तर में SAIL के दावे का खंडन किया गया एवं इसे एकतरफा निर्णय बताया गया। इस संदर्भ में आयोग ने दिनांक 11.03.2024 को SAIL से पुनः तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, जिसके प्रत्युत्तर में SAIL ने अपने पत्र दिनांक 04.04.2024 के माध्यम से पूर्व में दिए गए उत्तर का ही समर्थन किया।

4. मामले की गंभीरता को देखते हुए, आयोग ने 14.06.2024 को सुनवाई की, जिसके बाद निम्नलिखित अनुशंसाएं की गईं:

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

I. बोकारो स्टील प्लांट प्रशासन स्व. गुरुराम बिरुली (वरीय वाहन चालक) के पुत्र को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ करे।

II. की गई कार्यवाही की सूचना आयोग को सुनवाई की तिथि से एक माह के भीतर उपलब्ध कराई जाए।

5. आयोग की 14.06.2024 की सुनवाई में प्रस्तुत रिपोर्ट असंतोषजनक पाए जाने पर, आयोग ने निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी 2025 को निर्धारित की। इसके लिए सिटिंग नोटिस जारी किए गए।

6. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती हैं :

   i. स्व. गुरुराम बिरुली द्वारा कितने दिनों तक लगातार रात्रि पारी में कार्य किया गया, इसकी उपस्थिति का विवरण आयोग को प्रस्तुत किया जाए। साथ ही, कंपनी के नियमों की प्रति भी उपलब्ध कराई जाए, जिसमें यह स्पष्ट हो कि क्या कोई कर्मचारी लगातार 2.5 माह तक रात्रि पारी में कार्य कर सकता है, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है।

   ii. आयोग मेघाहातुबुरु लौह अयस्क खान (Meghahataburu Iron Ore Mines) का स्थलीय निरीक्षण करेगा।

   iii. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु SAIL के सभी RULES की सत्यापित प्रतिलिपि आयोग को प्रेषित की जाए तथा यह भी स्पष्ट किया जाए कि यदि कार्यावधि के दौरान ही स्व. बिरुली की तबीयत खराब हो गई थी और उस दौरान हड़बड़ाहट में बिना हाजिरी लगाए ही वे वहां से चले गए, तो तबीयत यदि उन्हीं परिस्थितियों में खराब हुई थी, तो उन्हें On Duty क्यों नहीं माना गया? क्योंकि वे उसी पीड़ा के क्रम में अस्पताल में भर्ती हुए थे। अतः, इस मामले के सभी तथ्यों एवं प्रार्थी के पक्ष का उल्लेख करते हुए, इस विषय को इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाए, ताकि मामले में मंत्रालय के माध्यम से विधिक सलाह लेकर उचित निष्पादन किया जा सके।

इस मामले की जांच रिपोर्ट आयोग को 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए।

आशा लकड़ा
19/03/2025

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Gove... of India
राष्ट्रीय अनुसूचित ...
National Commission ... Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/SER-628/JH/9/2022-SSW-RU-IV

Sitting to be held on **28.02.2025 at 03:00 P.M-** अनुकम्पा के आधार पर SAIL MIOM में नौकरी देने के संबंध में श्री विजय कुमार मेलगन्डी -, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, झारखंड प्रदेश का दिनांक 10.08.2022 का अभ्यावेदन।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Surat Singh Joint Secretary		
3.	Shri Rahul Investigator		
4.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
5.	Shashidhar R. Soren		[signature]
6.			
II	**Steel Authority of India Limited (SAIL)**		
1.	Birendra Kumar Tiwari		[signature]
2.	B. S. POPLI		[signature]
3.	Shipra N. Hemrom		[signature]
4.			
5.			
III	**Petitioners**		
1.	Bijai Kr. Melgandi		[signature]
2.	श्रीमति अंजू मिरन्दा		अंजु मिरन्दा